मिसल हेतु अंकन 18-11-15 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

20-10-15

प्रार्थी पक्ष वकील के निवेदन पर पत्रावली आज पेश की गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिये केस दर्ज प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है अतः प्रकरण को नाम विड्रोल खारिज किया जावे।

अतः प्रार्थी पक्ष वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी के इस प्रार्थना को नाम विड्रोल खारिज किया जाकर हो पत्रावली नियम अनुसार हो बाद मियाद दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

प्रेमसिंह
हस्ताक्षर